

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या -840/2023

अनवान : -

1. राजपाल पुत्र बनवारीलाल जाति धानक निवासी टिडियासर तहसील नोहर।

- वादी

बनाम

1. धोली पुत्री सुरेन्द्र जाति मेघवाल निवासी टिडियासर तहसील नोहर।
2. भागी देवी पत्नी सुरेन्द्र जाति मेघवाल निवासी टिडियासर तहसील नोहर।
3. मीरा पत्नी रूघाराम जाति मेघवाल निवासी टिडियासर तहसील नोहर।
4. लिछमण उर्फ लिछुराम पुत्र रूघाराम जाति मेघवाल निवासी टिडियासर तहसील नोहर।
5. शिशराम पुत्र हेमराज जाति मेघवाल निवासी टिडियासर तहसील नोहर।
6. सानिया पुत्री सुरेन्द्र जाति मेघवाल निवासी टिडियासर तहसील नोहर।
7. हनुमान पुत्र रूघाराम जाति मेघवाल निवासी टिडियासर तहसील नोहर।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
9. उप पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

**दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा
53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम**

उपस्थिति :- श्री राजपाल झोरड़ अधिवक्ता वादी
श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक: 27/02/26

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 53 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा टिडियासर तहसील नोहर के खाता स0 181/177 की कुल 7.4470 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि का खाता व लगान मुश्तरका होने के कारण पक्षकारान का आपस में लगान काश्त एवं सींव का झगड़ा रहता है इसलिए वादी मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के अनुसार खाता व लगान तकसीम करवाकर अलग से खाता कायम करवा पाने का अधिकारी है।

वादी ने अपने हक हिस्सा की भूमि को काफी समतल व उपजाउ बना रखा है वादी अपने हक हिस्सा के अनुसार अपनी भूमि पर काबिज है। मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के अनुसार वादी अपना खाता व लगान अलग करवाना चाहता है यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई मर्तबा कहा की विवादित भूमि का मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के खाता एवं लगान तकसीम करवा ले तो कई दिन तक आजकल आजकल करते रहें आखिर इन्कार हो गये इसलिए यह दावा पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 व 5 ता 6 को सम्यक नोटिस ली जाने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी संख्या 4 की तरफ से श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 4 ने निवेदन किया की जवाब नहीं देना चाहते है। वादी व प्रतिवादी ने निवेदन किया की साक्ष्य भी नहीं करवाना चाहते

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

है। वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किया गया।

विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी व प्रतिवादी ने मुताबिक मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया।


वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा टिडियासर तहसील नोहर के खाता स0 181/177 की कुल 7.4470 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है—

- 1 राजपाल पुत्र बनवारीलाल जाति धानक सा देह खातेदार— ग्राम टिडियासर ख0न0 266 की 0.025 हैक्ट, ख0न0 265 की 0.228 हैक्ट कुल 0.253 हैक्ट
- 2 धोली पुत्री सुरेन्द्र हि0 931/17985 जाति मेघवाल सा0 देह खातेदार, भागी देवी पत्नी सुरेन्द्र हि0 931/5995 जाति मेघवाल सा0 देह खातेदार राहिन 931/5995 पूर्ण खाता, पंजाब नेशनल बैंक शाखा साहवा चुरु राज0, मीरा पत्नी रूघाराम हि0 931/3597 जाति मेघवाल सा0 देह खातेदार, शिशराम पुत्र हेमराज हि0 23/327 जाति मेघवाल सा0 साहवा खातेदार, सानिया पुत्री सेरेन्द्र हि0 931/17985 जाति मेघवाल सा0 देह खातेदार, लिछमण उर्फ लिछुराम पुत्र रूघाराम हि0 551/3597 जाति मेघवाल सा0 देह खातेदार राहिन हि0 551/3597 पूर्ण खाता राजस्थान मरूघरा ग्रामीण बैंक शाखा दलपतपुरा, हनुमान पुत्र रूघाराम हि0 931/3597 जाति मेघवाल सा0 देह खातेदार राहिन हि0 931/3597 पूर्ण खाता पंजाब नेशनल बैंक शाखा साहवा — ग्राम टिडियासर के ख0न0 266 की 0.455 हैक्ट, 265 की 6.36 हैक्ट, 71/2 की 0.379 हैक्ट कुल 7.194 हैक्ट

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि की किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक27/02/26..... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

अंतिम पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई०ए०एस०)
प्रकरण संख्या -840/2023

अनवान : -

1. राजपाल पुत्र बनवारीलाल जाति धानक निवासी टिडियासर तहसील नोहर।

- वादी

बनाम

1. धोली पुत्री सुरेन्द्र जाति मेघवाल निवासी टिडियासर तहसील नोहर।
2. भागी देवी पत्नी सुरेन्द्र जाति मेघवाल निवासी टिडियासर तहसील नोहर।
3. मीरा पत्नी रूघाराम जाति मेघवाल निवासी टिडियासर तहसील नोहर।
4. लिछमण उर्फ लिछुराम पुत्र रूघाराम जाति मेघवाल निवासी टिडियासर तहसील नोहर।
5. शिशराम पुत्र हेमराज जाति मेघवाल निवासी टिडियासर तहसील नोहर।
6. सानिया पुत्री सुरेन्द्र जाति मेघवाल निवासी टिडियासर तहसील नोहर।
7. हनुमान पुत्र रूघाराम जाति मेघवाल निवासी टिडियासर तहसील नोहर।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
9. उप पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955


राजस्व वाद संख्या 840 सन 2023 निर्णय दिनांक 27/02/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार साबित होने के कारण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा टिडियासर तहसील नोहर के खाता स० 181/177 की कुल 7.4470 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है-

1. राजपाल पुत्र बनवारीलाल जाति धानक सा देह खातेदार- ग्राम टिडियासर ख०न० 266 की 0.025 हैक्ट, ख०न० 265 की 0.228 हैक्ट कुल 0.253 हैक्ट
2. धोली पुत्री सुरेन्द्र हि० 931/17985 जाति मेघवाल सा० देह खातेदार, भागी देवी पत्नी सुरेन्द्र हि० 931/5995 जाति मेघवाल सा० देह खातेदार राहिन 931/5995 पूर्ण खाता, पंजाब नेशनल बैंक शाखा साहवा चुरु राज०, मीरा पत्नी रूघाराम हि० 931/3597 जाति मेघवाल सा० देह खातेदार, शिशराम पुत्र हेमराज हि० 23/327 जाति मेघवाल सा० साहवा खातेदार, सानिया पुत्री सुरेन्द्र हि० 931/17985 जाति मेघवाल सा० देह खातेदार, लिछमण उर्फ लिछुराम पुत्र रूघाराम हि० 551/3597 जाति मेघवाल सा० देह खातेदार राहिन हि० 551/3597 पूर्ण खाता राजस्थान मरूघरा ग्रामीण बैंक शाखा दलपतपुरा, हनुमान पुत्र रूघाराम हि० 931/3597 जाति मेघवाल सा० देह खातेदार राहिन हि० 931/3597 पूर्ण खाता पंजाब नेशनल बैंक शाखा साहवा - ग्राम टिडियासर के ख०न० 266 की 0.455 हैक्ट, 265 की 6.36 हैक्ट, 71/2 की 0.379 हैक्ट कुल 7.194 हैक्ट

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एवं तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

यह अंतिम पर्चा डिक्री आज दिनांक 27/02/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(राहुल श्रीवास्तव I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर